न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 12/2023

बउनवान

1. कुमार मनोज जैन उम्र 56 वर्ष पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन
2. श्रीमति मधु उम्र 59 वर्ष पुत्री श्री प्रेमचन्द जैन
3. श्रीमति मीनू उम्र 50 वर्ष पुत्री श्री प्रेमचन्द जैन जाति जैन महाजन निवासीगण मांगरोल तहसील मांगरोल हाल निवासी 220 शास्त्री नगर कोटा, जिला कोटा (अपीलांट)

बनाम

1. डॉ0 सुभाष वैद पुत्र तेजमल जाति जैन महाजन, निवासी 70/17, सेक्टर 7 प्रताप नगर, (राज0 हाउसिंग बोर्ड) श्योपुर रोड, जयपुर राज0 पिन 302033
2. श्री विरेन्द जैन उर्फ गणेश जी पुत्र सौभागमल जाति जैन महाजन निवासी E 25 B बल्लभबाड़ी कोटा, जिला कोटा राज0 पिन 324007
3. श्री प्रकाशचन्द्र पुत्र सौभागमल जाति जैन महाजन निवासी फ्लेट नं0 303 4-1 बिल्डिंग दहानुकर रिजन्सी, धानुकर कॉलोनी, कोमरूड पूना महाराष्ट्र 41103829
4. श्री शांतिलाल पुत्र सौभागमल जाति जैन महाजन निवासी ए 56 वेस्ट, आनन्द विहार रेल्वे कॉलोनी जगतपुरा जयपुर पिन 302017
5. श्री कमलकान्त पुत्र सौभागमल जाति जैन महाजन निवासी फ्लेट नं0 703 लाइफ सरयू श्रीराम विहार– पारसपथ जगतपुरा जयपुर राज0 पिन 302033
6. श्री प्रमोद कुमार पुत्र सौभागमल जाति जैन महाजन निवासी 763 महावीर नगर II कोटा जिला कोटा राज0 पिन7 324005
7. श्री विनोद पुत्र सौभागमल जाति जैन महाजन निवासी B 804 अनुकम्पा स्काई डेक 100 फीट रोड नियत पांसल चौराहा ओल्डग्रीर वैली स्कूल भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा पिन 311001
8. श्रीमति उषा जैन पुत्री सौभागमल जाति जैन महाजन निवासी 503 क्लीफ टावर IIIrd कॉस रोड लोखण्ड वाला कॉम्प्लेक्स अन्धेरी वेस्ट मुम्बई, जिला बम्बई (महाराष्ट्र) पिन 400053
9. मानसिंह पुत्र सूरजमल जाति जैन महाजन, 46 शरती नगर यमुनापथ श्यामनगर जयपुर पिन 302019

9/1 अजय कुमार पुत्र स्व0 मानसिंह जाति जैन महाजन 46 शरती नगर यमुनापथ श्यामनगर जयपुर पिन 302019

9/2 अर्चना पुत्री स्व0 मानसिंह जाति जैन महाजन निवासी 46 शरती नगर यमुनापथ श्यामनगर जयपुर पिन 302019

9/3 चन्दाबाई बेवा स्व0 मानसिंह जाति जैन निवासी 46 शरती नगर यमुनापथ श्यामनगर जयपुर पिन 302019

9/4 पूजा पुत्री स्व0 मानसिंह जाति जैन निवासी 46 शरती नगर यमुनापथ श्यामनगर जयपुर पिन 302019

10. निरंजन कुमार पुत्र सूरजमल जाति जैन महाजन निवासी सेठ मोतीलाल जी की हवेली के पास मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां
11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां राज0 (रेस्पोडेंटगण)

अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश इन्तकाल नं0 313 दिनांक 12.07.1996

अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री कमलदीप सिंह हाड़ा एडवोकेट (अपीलांट)

2. [illegible] (रेस्पो.कम 1 ता 3,5 ता 8,9/1 ता 9/4, 10)

निर्णय दिन[illegible] 25.0[illegible]24

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.10.23 09:58:52 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट्स की ओर [illegible] र्ये अभिभाषक [illegible] अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि इ. नं. 313 दिनांक 12.07.1996 विधि न्या[illegible] के सर्वथा [illegible] एवं अवैध है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में को[illegible] नहीं किया गया है, औ[illegible] प्रस्ताव या

जिला कलक्टर

विभाजन पर समस्त तत्कालीन मौजूद खातेदारों के हस्ताक्षर भी नहीं है इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत बंटवारा सहमति बंटवारा था और उस विभाजन प्रस्ताव से समस्त सहखातेदार सहमत थे। अपीलांट क्रम 1 ता 10 एक ही परिवार के सदस्य है तथा मूल खातेदार सूरजमल पुत्र भवानी शंकर की मृत्यु हो चुकी है उनके पुत्र तेजमल, सौभागमल व प्रेमचन्द्र की भी मृत्यु हो चुकी है मृतक खातेदार के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी ग्राम मांगरोल मे उनके वारिसान के नाम दर्ज हो चुके है अपीलांट्स मृतक प्रेमचन्द्र के पुत्र व पुत्रियां है। सेटलमेंट जमाबंदी सम्बत् 2044–63 में खाता सं. 369 ग्राम मांगरोल में खसरा नं. 979/3.25, 798/0.10, 799/8.20, 800/10.53 कुल किता 4 रकबा 22.08 है0 आराजी सूरजमल पुत्र भवानीशंकर व उनके वारिसान के नाम दर्ज हो रही है दर्ज सहखातेदारों में से सूरजमल, मु0 कमला बेवा तेजमल तथा प्रेमचन्द्र की मृत्यु हो चुकी है। बाद इंतकाल नं. 313 आराजी निम्न प्रकार से सहखातेदार में दर्ज की गई–

1. मानसिंह पुत्र सूरजमल खं. नं. 797 रकबा 3.23 है0, मि. 799 रकबा 1.55 है0 कुल 4.80 है0
2. डॉ. सुभाषचन्द्र पुत्र तेजमल खं. नं. 799/4 रकबा 1.66 है0, 800/3 रकबा 2.64 है0 कुल 4.30 है0
3. सौभागमल पुत्र सूरजमल खं. नं. 799/1 रकबा 1.66 है0, 800/2 रकबा 2.63 है0 कुल 4.29 है0
4. निरंजन कुमार पुत्र सूरजमल खं. नं. 799/2 रकबा 1.66 है0, 800 मि. रकबा 2.63 है0 कुल 4.29 है0
5. प्रेमचन्द्र पुत्र सूरजमल खं. नं. 799/3 रकबा 1.67 है0, 800/1 रकबा 2.63 है0 कुल 4.30 है0

तत्कालीन बंटवारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मांगरोल के समक्ष करवाया गया उसमें मुख्य भूमिका रेस्पोडेन्ट क्रम 10 निरंजन कुमार की रही है। निरंजन कुमार के अलावा अन्य कोई पारिवारिक सदस्य ग्राम मांगरोल में नही रहता है, इसलिए निरंजन कुमार रेस्पोडेन्ट क्रम 10 ने अपनी मनमर्जी से बटवारा करवाकर खं. नं. व आराजी का विभाजन करवा लिया। इ.न. 313 दिनांक 12.07.1996 को देखने से स्पष्ट है कि किसी भी खसरा नं. व आराजी पर दिशा अंकित नही है यानि किसी खसरा नं0 के बटा नं. बनते है तो विभाजित आराजी में दिशा अंकित की जाती है कि किस दिशा की आराजी किस सहखातेदार को प्राप्त हुई है लेकिन सम्पूर्ण इ. नं. 313 का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि विभाजित किये गये खसरा नं. व रकबे मे दिशा अंकित नही है जिसमे अपीलांट को काश्त करने मे बड़ी दुविधा व मुश्किल हो रही है ओर खोला गया इंतकाल नं. 313 काबिल खारिज है। मात्र रेस्पोडेंट क्रम 10 ने ही बंटवारा वास्ते प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश कर दिया अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सभी खातेदार उपस्थित नहीं हुए है, और रेस्पोडेंट क्रम 10 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर मनमाने तरीके से इंतकाल दर्ज करवा लिया जो कि काबिल खारिज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल दर्ज करने के पश्चात आज तक भौतिक रूप से अपीलांट का कब्जा आराजी नहीं सम्भलाया है अपीलांट को यह भी पता नहीं है कि दर्ज खाते आराजी कौनसी है इससे इंतकाल काबिल खारिज है। रेस्पोडेंट क्रम 10 से अपीलांट ने कई बार कहा कि हमारे खाते दर्ज आराजी कहां पर है, कौन सी है तो रेस्पोडेंट क्रम 10 कभी किस आराजी को बताता है कभी किस आराजी को बताता है क्योंकि दर्ज खाते आराजी व इंतकाल मे विभाजित आराजी की दिशा अंकित नही है और न ही सहखातेदारों को मौके पर जाकर भौतिक रूप से कब्जा सम्भलाया है, ऐसी स्थिति में अपीलांट अपने खाते दर्ज आराजी का पूरा उपयोग उपभोग नही कर पा रहे है, लिहाजा पूर्व तस्दीक इंतकाल नं. 313 खारिज फरमाया जाकर पुनः मौके पर जाकर सहमति के आधार पर सहखातेदारों का इंतकाल दर्ज किया जावे और आराजी का कब्जा सम्भलाया जावे। अपीलांट्स व अन्य सहखातेदार रेस्पोडेंट क्रम 1 ता 9 ग्राम मांगरोल से बाहर रहते है तथा मांगरोल की आराजी रेस्पोडेंट मुनाफा काश्त से कराते है, अपीलांट्स जिस आराजी को मुनाफा काश्त से जुपाते है उक्त आराजी की निशानदेही अपीलांट को नहीं है, रेस्पोडेंट क्रम 10 अपीलांट की आराजी को नहीं जुपाने देना चाहते है जिस आराजी को अपीलांट अपनी बताता है उसी को रेस्पोडेंट अपनी बताकर मना कर देता है, क्योंकि वक्त इ.न. 313 विभाजित आराजी का भौतिक कब्जा नहीं दिया था और सहमति भी नही थी, रेस्पोडेंट क्रम 10 का कहना है कि अपीलांट स्वयं अपने दर्ज आराजी का सीमाज्ञान करवाकर कब्जा कर लेवे, लेकिन इंतकाल मे दिशा [illegible] सीमाज्ञान भी नही हो पा रहा है पूर्व दर्ज इंतकाल नं. 313 दिनांक 12.07.1996 अपीलांट की [illegible] बिना व अनुपस्थिति मे दर्ज किया गया था, जो कि अपीलांट के विरूद्ध शून्य [illegible] 1996 विधि विरूद्ध होने से शून्य है। खाते दर्ज आराजी ख[illegible]00 रकबा 10[illegible]0 व ख. नं. 799 रकबा 8.20 है0 अन्य सहखातेदारों के भी बटा नं. मे [illegible] नहीं है इसलिए मौके पर जाकर कौनसी दिशा की आराजी की पैमा[illegible] कर्मियों द्वारा पैमाईश भी नही की जा रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.10.23 09:58:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर इ.नं. 313 दिनांक 12.07.1996 खारिज किया जाकर पुनः समस्त सहखातेदारों की मौजूदगी मे मौके पर जाकर इंतकाल दर्ज करें व कब्जा सम्भलाये जाने का आदेश प्रदान करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंटगण को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। रेस्पो0 कम 1 ता 3, 5 ता 8, 9/1 ता 9/4 एवं 10 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पो0 कम 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस इस आशय की पेश की कि मृतक खातेदार सूरजमल पुत्र भवानीशंकर के खाते ग्राम मांगरोल में खसरा नंबर 798 रकबा 0.10, 799 रकबा 8. 20, 800 रकबा 10.53, 797 रकबा 3.25 है. कुल किता 4 रकबा 22.08 है. आराजी का सहमति से बंटवारा करवाने वास्ते मृतक सूरजमल के पांचो पुत्र सुभाष जैन पुत्र तेजमल, सौभागमल, मानसिंह, प्रेमचन्द और निरंजन कुमार ने सर्वप्रथम एक सहमति पत्र परिशिष्ट–1 दिनांक 27.06.1996 को लिखा गया। उक्त सहमति पत्र के अनुसार खेत का नाम (खोटा) खसरा नंबर 797 रकबा 3.25 है. मानसिंह के रहेगा, बाकी आराजी कुआं खसरा नं. 798 रकबा 0.10 है. को छोड़कर परिशिष्ट–2 व परिशिष्ट –3 राजस्व नक्शा के अनुसार शेष आराजी खसरा नं. 799 रकबा 8.20, 800 रकबा 10.53 मे बराबर–बराबर पूर्व पश्चिम विभाजन होगा। इसके आधार पर परिशिष्ट–4 वास्ते तस्दीक विभाजन पत्र दिनांक 01.07.1996 परिशिष्ट–5 के साथ तहसीलदार साहब के यहां प्रस्तुत किया और तहसीलदार मांगरोल ने हल्का पटवारी से रिपोर्ट तलब करके विभाजन दिनांक 10.07.1996 तस्दीक कर दिया और उक्त आदेश की पालना में इ. नं. 313 दिनांक 12.07.1996 दर्ज करके सभी सहखातेदारों अपीलान्ट व रेस्पोडेंट के खाते पृथक–पृथक कर दिये, पृथक–पृथक आराजी दर्ज कर दी। उक्त इ.नं. 313 दिनांक 12.07.1996 से व्यथित होकर यह अपील पेश की। बंटवारा सहमति पत्र दिनांक 27.06.1996 व सहमति विभाजन पत्र के आधार पर बंटवारा नही किया गया है विभाजन पत्र दिनांक 01.07.1996 के पेज नं. 02 की प्रथम लाइन मे लिख रखा है कि "चूंकि हमने लगभग 15–20 वर्षों से उपरोक्त आराजी का आपसी सहमति से मौके पर विभाजन कर रखा है तथा हम सभी मुकिरान उक्त आराजियात को शांतिपूर्वक अपने–अपने हिस्से को काश्त करते आ रहे है तथा काबिज काश्त है" आपसी सहमति से विभाजन परिशिष्ट–3 राजस्व नक्शे के अनुसार होना चाहिए था, जो पूर्व पश्चिम है तथा क्रम संख्या से खातेदारों के नाम दर्ज है, परिशिष्ट–3 राजस्व नक्शा विभाजन पत्र के साथ पेश किया था, लेकिन परिशिष्ट–3 के अनुसार विभाजन नहीं किया गया बल्कि तहसीलदार मांगरोल की पत्रावली से परिशिष्ट–3 राजस्व नक्शा गायब कर दिये गये। तहसीलदार मांगरोल ने हल्का पटवारी से रिपोर्ट तलब की थी, और हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट परिशिष्ट–6 पेश की थी, हल्का पटवारी ने मुताबिक विभाजन पत्र राजस्व नक्शा 2 व 3 सहमति पत्र परिशिष्ट–1 के अनुसार रिपोर्ट पेश की थी, लेकिन इ.नं. 313 दिनांक 12.07.1996 रिपोर्ट हल्का पटवारी के अनुसार तस्दीक नहीं किया गया इसलिए सहमति विभाजन सहमति के आधार पर होना नहीं माना जा सकता। इ.नं. 313 मे कौनसा खातेदार किस दिशा में काश्त करेगा अंकित नही है इसलिए इ.नं. 313 अपूर्ण व अधूरा है, इ.नं. 313 का अवलोकन करने पर तो सिर्फ यह जाहिर आता है कि आराजी का बंटवारा हुआ है कौनसा खातेदार किस जगह पर किस दिशा में काश्त करेगा यह अंकित नहीं है, इसलिए दर्ज इ.नं. 313 विधि अनुरूप, सहमति पत्र राजस्व नक्शे के अनुसार न होने से इस बंटवारा को सहमति विभाजन नहीं माना जा सकता और इ.नं. 313 खारिज करके पुनः बंटवारा किया जाना न्याय संगत होगा। जबकि राजस्व नक्शा परिशिष्ट–2 व परिशिष्ट–3 के अनुसार खातेदारों के नाम दर्ज हो रहा है। वर्तमान मे रेस्पोडेंट क्रम 10 निरंजन कुमार मांगरोल में रहता है और वही सभी सहखातेदारों की आराजी को मुनाफा काश्त से करता है, इं. नं. 313 भी रेस्पोडेंट क्रम 10 ने अपने अनुसार दर्ज करवाया है जिससे सहमति पत्र व सहमति बंटवारा की पालना न हो सकें। ऑनलाइन राजस्व नक्शा व ऑनलाइन जमाबंदी बन जाने से मौके पर सम्पूर्ण विभाजन पत्र का नक्शा बदल गया है किस खातेदार की आराजी कौनसी है मौके पर पता ही नहीं लग रहा है, रेस्पोडेंट क्रम 10 कभी किस आराजी को अपनी बताता है और कभी [illegible] की पटवारी हल्का भी आराजी नही नापते है कि पता ही नहीं लगता कि नक्शे में तुम्हारी आराजी [illegible] पर है इसलिए जरूरी हो गया है कि पुनः मौके पर जाकर सहमति से बंटवारा करवाया जाकर [illegible] इंतकाल दर्ज करावें। न्यायिक दृष्टांत RRD 2002 पेज 65 के अनुसार यह [illegible] विधि विरूद्ध, अपने क्षेत्राधिकार से परे किया गया हो तो उस पर [illegible] होता है उक्त आदेश को कभी भी चुनौती दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.10.23 09:58:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

जा सकती है क्योंकि सहमति पत्र राजस्व नक्शानुसार बंटवारा नहीं किया गया है अतः तस्दीक इ.नं. 313 निरस्तनीय है। हल्का पटवारी ने जो सहमति बंटवारा के आधार पर राजस्व नक्शा दर्ज किया गया है, तथा राजस्व नक्शा परिशिष्ट–7 है, जो बिल्कुल विधि सम्मत व सहमति बंटवारा अनुसार नहीं है, राजस्व नक्शा सहमति बंटवारानुसार पूर्व–पश्चिम न होकर मनमाने तरीके से राजस्व नक्शा बना दिया है, जबकि सभी खातेदार पूर्व की भांति पूर्व–पश्चिम अपने–अपने हिस्सों पर काश्त कर रहे है, किया गया बंटवारे में आराजी विभिन्न स्थानों पर दर्ज कर दी गई है, जो सहमति बंटवारानुसार नहीं है। अतः लिखित बहस पेश करके निवेदन है कि इ.नं. 313 दिनांक 12.07.1996 खारिज फरमाया जाकर परिशिष्ट–1 सहमति पत्र, परिशिष्ट–2 व 3 राजस्व नक्शानुसार मौके पर जाकर काबिज काश्तनुसार बंटवारा किया जाकर पुनः इंतकाल तस्दीक किये जाने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मांगरोल को फरमावें।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का जवाब रेस्पोडेन्ट्स के अभिभाषक की ओर से इस आशय का पेश हुआ कि बहस अपील की मद संख्या 1 ता 4 जो रेवेन्यू विभाग मे प्रक्रिया अपनायी जाती है उससे संबंधित है जिसे अपीलांट तहसीलदार मांगरोल के यहां प्रार्थना पत्र निहित प्रावधानों के तहत प्रस्तुत करके रिलीफ प्राप्त कर सकता है। अपीलान्ट के पिता मृतक श्री प्रेमचन्द को उसके भाई रेस्पो. के आपसी सहमति की तथा सहमति विभाजन दिनांक 10.06.1996 की लिखावट कर गवाहान की मौजूदगी मे तैयार दस्तावेज के आधार पर तहसीलदार मांगरोल के द्वारा समस्त कृषि भूमि का बंटवारा किया गया है तथा उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे इंतकाल संख्या 313 दिनांक 12.07.1996 के तहत राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद आपसी सहमति के तहत् अनडिस्पुटेड मानते हुए किया गया है तथा प्रेमचन्द को बंटवारे मे अन्य खातेदारों से अधिक भूमि बंटवारे मे प्राप्त हुई है तथा बाद बंटवारा अपीलांट के पिता प्रेमचन्द अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त हुए तथा उनकी मृत्यु के पूर्व तक उस भूमि पर लगातार काश्त करते चले आ रहे तथा उनकी मृत्यु के बाद अपीलांट उनके हिस्से की भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है। प्रेमचन्द का देहांत दो वर्ष पूर्व कोरोनाकाल मे हुआ प्रेमचन्द के जीवनकाल मे कभी भी इस बंटवारे को लेकर कोई विवाद आपस मे खातेदारों के बीच नहीं हुआ तथा इंतकाल संख्या 313 दिनांक 12.07.1996 के अनुसार शांतिपूर्वक हर खातेदार अपने–अपने हिस्से का काबिज काश्त करता चला आ रहा है। बंटवारे की प्रति तथा तहसीलदार मांगरोल के द्वारा अनडिस्पुटेड इंतकाल की सत्यप्रति अपीलांट के द्वारा दौराने बहस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है जो रिकार्ड पर उपलब्ध है। 135 ए लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के द्वारा यह प्रतिपादित है कि अनडिस्पुटैड होने पर सेम ही एज यूजवल राजस्व रिकार्ड मे अंकित किया जावेगा और यह इंतकाल भी खातेदारों में अनडिस्पुटेड होने पर रेवेन्यू रिकार्ड मे जैसा खातेदारों ने आपस मे लिखकर बाद तस्दीक बंटवारा किया है वैसा ही रेवेन्यू रिकार्ड मे पृष्ठांकित किया गया है। इंतकाल संख्या 313 दिनांक 12.07.1996 आदेश तहसीलदार से अमल मे लाया गया है। अपील अंतर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत् अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत की गई है तथा धारा 78 ए लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधान के तहत् 30 दिन के अंदर यह अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए थी जो अपीलांट के द्वारा लगभग 28 वर्ष बाद न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई है जो पूरी तरह से मियाद बाहर है जिसकी अपीलांट एवं उसके अधिवक्ता को पूरी जानकारी है इसके बावजूद अपीलांट द्वारा मियाद हेतु कोई न्यायोचित कारण प्रार्थना पत्र के जर्ये या मौखिक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है और ना ही न्यायालय द्वारा मियाद बाबत् कोई रियायत इस अपील मे न्यायालय द्वारा प्रदान की गई है धारा 80 (1) राज0 लेण्ड रेवेन्यू के तहत् यह प्रतिपादित है कि अपील मियाद बाहर है तो उसका रिकार्ड अपील न्यायालय काल नहीं करेगा और ना ही अपीलांट को इस हेतु सुना जायेगा तथा यह माना जायेगा कि अपील कानूनन लाई नहीं करती है तथा अपील निरस्त समझी जायेगी। अपीलांट ने अपील के जर्ये पूर्व मे किये गये विभाजन के तहत् बाउण्ड्रीवाल (सीमाज्ञान) से अनभिज्ञता जाहिर की है जबकि धारा 111 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत् किसी प्रकार का कोई बाउण्ड्री डिस्पुट है तो उस डिस्पुट को तहसीलदार उसका निस्तारण प्रावधान के तहत् करेंगे लेकिन अपीलांट ने आज तक भी किसी भी प्रकार का कोई सीमाज्ञान बाबत् कही भी लिखित में नहीं दर्शाया है। अपीलांट ने पहली बार अपील की मद नं0 5, 8, 9 के द्वारा सीमाज्ञान बाबत् उज्र पेश किया। अपीलांट धारा 111, 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र के जर्ये अपने हिस्से का सीमाज्ञान प्राप्त कर [illegible] मात्र सीमाज्ञान नहीं होने के आधार पर इंतकाल की अपील प्रस्तुत करने का अपीलांट [illegible] कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलांट बिना कोई न्यायोचित कारण के लगभग 28 वर्ष बाद मियाद [illegible] यह अपील पेश सहखातेदार को परेशान करने की नियत से लेकर आया है [illegible] कानूनन आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.10.23 09:58:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के द्वारा 2015 सिविल कोर्ट केसेस पेज संख्या 403 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा 2009 डी0एन0जे0 पेज संख्या 141 पर मियाद अपील बाबत् कानूनी अभिव्यक्ति की गई है जिसके तहत् किसी भी अपील को मियाद बार उसे नहीं सुना जायेगा दोनो निर्णयों की प्रति इस बहस के साथ संलग्न है। अतः जवाब लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील सव्यय खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष सुनी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित रहे तथा उपस्थित अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने प्रस्तुत जवाब लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराया।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अपीलांट्स द्वारा फर्द के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात परिशिष्ट–1 सहमति पत्र, परिशिष्ट–4 प्रार्थना पत्र वास्ते तस्दीक विभाजन पत्र तथा परिशिष्ट–5 विभाजन पत्र पर अपीलांट्स के पिता के हस्ताक्षर मौजूद हैं। अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में भी उक्त दस्तावेजात का विवरण अंकित किया है। परिशिष्ट–5 की पुश्त पर अंकित आदेश तहसीलदार मांगरोल द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.1996 में भी अपीलांट्स के पिता उपस्थित होना अंकित है तथा इस पर अपीलांट्स के पिता के सहमति हस्ताक्षर भी मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का यह कथन असत्य पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया विभाजन सहमति बंटवारा नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत विभाजन पत्र परिशिष्ट–5 की पुश्त पर ही आदेश दिनांक 01.07.1996 पारित कर बंटवारा पत्र सत्यापित किया गया है तथा इसी आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 313 दिनांक 12.07.1996 दर्ज किया जाकर तस्दीक किया गया है। सहमति विभाजन के आधार पर जारी आदेश तथा उसकी पालना में खोलकर तस्दीक किये गये नामान्तरकरण की अपील पोषणीय नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज॰)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज॰)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.10.23 09:58:52 IST
Reason: SelfAttested